मानव तस्करी संबंधी रिपोर्ट- 2021: भारत

मानव तस्करी की निगरानी करने तथा उससे निपटने हेतु कार्यालय

भारत : टीयर 2

भारत सरकार मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरती है लेकिन ऐसा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। सरकार ने अपनी तस्करी रोधी क्षमता पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पिछली रिपोर्टिंग अवधि की तुलना में समग्र रूप से प्रयासों को बढ़ाया; इसलिए, भारत टीयर 2 पर बना रहा। इन प्रयासों में अधिक पीड़ितों की पहचान करना और मानव तस्करी के अधिकाधिक मामलों की जांच और अभियोजन शामिल करना था। महामारी के परिणामस्वरूप, अवैध व्यापार के लिए बढ़ रही संभावनाओं के प्रत्युत्तर में, सरकार ने देश भर में नई मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) को सुदृढ़ करने और उनका गठन करने के लिए धनराशि आवंटित की तथा मीडिया ने जानकारी प्रदान की कि रेलवे और ट्रांजिट पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले अपराधियों और मानव तस्करी के पीड़ितों को पकड़ने के लिए आवाजाही केंद्रों की गश्त बढ़ा दी। सरकार ने देश भर में 10,000 पुलिस स्टेशनों में "महिला हेल्प डेस्क" स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया और मानव तस्करी सहित अपराधों के पीड़ितों को सेवाएं प्रदान की। भारतीय न्यायालयों ने महामारी के दौरान मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए वीडियो के माध्यम से साक्ष्य देने की सुविधा को बढ़ा दिया । कुछ राज्यों ने बंधुआ मजदूरी के शिकार लोगों की पहचान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने और बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को नीति में उल्लिखित मुआवजे की अधिकतम राशि प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास भी किए। तथापि, सरकार ने अनेक क्षेत्रों में न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं किया। समग्र तस्करी रोधी प्रयास, विशेषरूप से, बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध किए जाने वाले प्रयास, अपर्याप्त रहे। इन मामलों में सरकार को कम मामलों में दोषसिद्धि हासिल हुई और मानव तस्करों के लिए बरी होने की दर अधिक अर्थात् 73 प्रतिशत पर बनी रही। मानव तस्करी में अधिकारियों की मिलीभगत चिंता का विषय बनी रही; सरकार ने किसी अभियोजन अथवा दोषसिद्धि होने की जानकारी नहीं दी। तथापि, कानून के प्रवर्तन से पीड़ितों की पहचान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उन्होंने समस्या की व्यापकता की तुलना में असंगत रूप से केवल कुछ पीड़ितों की पहचान की, जबकि कुछ संगठनों ने भारत में लगभग 8 मिलियन मानव तस्करी के पीड़ितों का आकलन किया। सरकार द्वारा संचालित अथवा वित्तपोषित आश्रयों की जांच करने के प्रयास अपर्याप्त रहे और पीड़ितों, विशेषरूप से बच्चों के लिए सुरक्षा की दिशा में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों का समाधान नहीं किया गया। अनेक पीड़ितों ने केंद्र सरकार द्वारा अधिदेशित मुआवजा प्राप्त करने के लिए वर्षों की प्रतीक्षा की और सामान्यत: राज्य और जिला कानूनी कार्यालयों ने पीड़ित को सक्रियता से मुआवजा प्रदान किए जाने का अनुरोध नहीं किया अथवा आवेदन दायर करने में पीड़ितों की सहायता नहीं की। कुछ विदेशों के तस्करी पीड़ित लंबी अथवा अस्तित्वहीन प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं के कारण वर्षों तक सरकार द्वारा संचालित आश्रयों में रहे ।

प्राथमिकतापूर्ण सिफारिशें:

बंधुआ मजदूरी सहित सभी प्रकार की मानव तस्करी की जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि में वृद्धि की जाए। • मानव तस्करी के मामलों में आधिकारिक मिलीभगत के आरोपों की सख्ती से जांच की जाए और दोषियों को लंबे समय के लिए जेल की सजा दी जाए। • बंधुआ मजदूरी की सभी रिपोर्टों की आपराधिक जांच करें। • पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आश्रयों के नियमित निगरानी तंत्र का विकास और तत्काल कार्यान्वयन करें तथा देखभाल के लिए सरकारी मानकों को पूरा करने वाले आश्रयों को तुरंत धन वितरित करें। • मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेषरूप से बच्चों के लिए मुआवजा योजनाओं के कार्यान्वयन और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिदेश पर स्पष्टता में सुधार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारें सभी पीड़ितों को तुरंत, रीलीज सर्टिफिकेट, मुआवजा, और गैर नकदी लाभ प्रदान करें। • अभियोजकों से आग्रह है कि वे नियमित रूप से उचित मानव तस्करी पीड़ित मुआवजा प्रदान करने के लिए आग्रह करें तथा न्यायाधीश अवार्ड करें तथा कानूनी सहायता कार्यालयों से नियमित रूप से उपलब्ध मुआवजा प्रणाली के बारे में मानव तस्करी पीड़ितों को जानकारी प्रदान करें। • सभी

सरकारी और वित्तपोषित आश्रय गृहों की जांच करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों की अनुपालना कराने के लिए राज्य और क्षेत्रगत अनुपालन को प्रोत्साहित करें। • मानव तस्करी के पीड़ितों को दंड दिया जाना बंद करें । • बंधुआ मजदूरी संबंधी वर्ष 2016 की योजना के समग्र मानव तस्करी मुआवजे को मानव तस्करी करने वालों की दोषसिद्धि से पृथक करें। • सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्तपोषित आश्रयों में वयस्क तस्करी पीड़ितों को नजरबंद करना बंद करें। • अधिक वित्तपोषण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से मौजूदा एएचटीयू को सुदृढ़ करना तथा यह सुनिश्चित करना कि नवस्थापित एएचटीयू पूरी तरह से चालू हैं। • पीड़ितों की पहचान और रेफरल के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का प्रसार और कार्यान्वयन जारी रखें, और अधिकारियों को उनके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित करें। • श्रम मानव तस्करी को शामिल करने के लिए दंड संहिता की धारा 370 में मानव तस्करी की परिभाषा में संशोधन करें और यह सुनिश्चित करें कि बाल यौन मानव तस्करी अपराध साबित करने के लिए बल, धोखाधड़ी या दबाव दिया जाना अपेक्षित नहीं हो। • श्रमिकों से लिए जाने वाले सभी भर्ती शुल्क को समाप्त करें। • घर से काम करने वाले कामगारों सहित अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाएं। • भारतीय कामगारों को मानव तस्करी से बचाने वाले गंतव्य देशों में समझौतों के माध्यम से महिला उत्प्रवास से रोक हटाएं । • मानव तस्करी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अद्यतन और लागू करें । • राजनयिक कर्मियों के लिए मानव तस्करी रोधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

अभियोजन

सरकार ने मानव तस्करी रोधी कानून के प्रवर्तन प्रयासों में थोड़ी बहुत वृद्धि की, जबकि, समस्या की व्याप्ति की तुलना में प्रयास अपर्याप्त बने रहे। भारतीय कानून, यौन मानव तस्करी और श्रम मानव तस्करी के कुछ रूपों को अपराध के रूप में पहचानता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 मानव तस्करी के अपराधों को दंडनीय अपराध मानता है, जिसमें शोषण शामिल था जिसके तहत शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी के समान प्रथाओं और दासता के किसी भी रूप को शामिल किया गया है। कानून में श्रम मानव तस्करी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। धारा 370 में वयस्क पीड़ित से जुड़े अपराधों के लिए सात से लेकर 10 साल तक का कारावास और जुर्माना तथा बाल मानव तस्करी के पीड़ित के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है; ये दंड पर्याप्त रूप से कठोर थे और यौन मानव तस्करी के संबंध में, अपहरण जैसे अन्य गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित दंड के अनुरूप थे। अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत, धारा 370, बाल यौन तस्करी अपराध को साबित करने के लिए बल, धोखाधड़ी, या दबाव दिया जाने को साबित करना अपेक्षित होता है और इस प्रकार यह बाल यौन तस्करी के सभी रूपों को गैरकानूनी घोषित नहीं करता है। तथापि, आईपीसी की धारा 372 और 373 ने ऐसे सबूतों के प्रदर्शन की अपेक्षा के बिना वेश्यावृत्ति के माध्यम से बच्चों के शोषण को अपराध बनाया, जिससे इस अंतर को पाट दिया गया है । इन धाराओं में 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, जो अपहरण जैसे अन्य गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित दंड के साथ सुसंग और पर्याप्त रूप से कठोर भी थे । बंधुआ मजदूरी को विशेषरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसए) में अपराध के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसमें क्रमशः पांच साल तक की कैद और तीन साल तक के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था। बीएलएसए के तहत निर्धारित दंड पर्याप्त रूप से कठोर नहीं थे। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मानव तस्करी के मामले दर्ज करना जारी रखा, जिसने अनेक प्रकार की जबरन मजदूरी को अपराध माना; तथापि, यह प्रावधान असमान रूप से लागू किया गया था और उनके निर्धारित दंड में से कुछ पर्याप्त रूप से कठोर नहीं थे जिसके अंतर्गत केवल जुर्माने अथवा अत्यंत कम समय के लिए कारावास के दंड का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए) जैसे अन्य कानूनों के तहत यौन मानव तस्करी से जुड़े अपराधों पर मुकदमा चलाया, जिसके तहत यौन शोषण धंधे से संबंधित विभिन्न अपराधों को अपराध माना गया। अशासकीय सशस्त्र समूहों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83(1) के तहत आपराधिक रूप से निषिद्ध है । वर्ष 2018 का मानव तस्करी रोधी विधेयक प्रारूप, वर्ष 2019 में निचले सदन के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया । सरकार एक संशोधित विधेयक पर काम कर रही थी, जिसे रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने तक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अपराध और रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी वर्ष 2019 की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2019 में, सरकार ने आईपीसी के तहत वर्ष 2017 में मानव तस्करी के 2854 मामलों तथा वर्ष 2018 में मानव तस्करी के 1830 मामलों की तुलना में वर्ष 2019 में मानव तस्करी के 2,088 मामलों की जानकारी प्रदान की। सरकार ने यह जानकारी नहीं दी कि डाटा में आईपीसी की किन धाराओं को शामिल किया गया था और सरकार ने वर्ष 2018 और 2019 में पश्चिम बंगाल के लिए इतनी ही संख्या में मामलों की जानकारी प्रदान की क्योंकि पश्चिम बंगाल ने नए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। वर्ष 2019 में सरकार ने मानव तस्करी के 600 मामलों में अभियोजन पूरा किया, 160 मामलों में 306 मानव तस्करों को दोषी ठहराया और 440 मामलों में 1329 संदिग्ध बरी हो गए । वर्ष 2019 में तस्करी के मामलों में बरी होने की दर 73 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों की तुलना वर्ष 2018 के दौरान सरकार द्वारा 545 मामलों में अभियोजन पूरा करने, 95 मामलों में 322 मानव तस्करों को दोषी ठहराने और 450 मामलों में 1124 संदिग्धों को बरी करने के साथ की गई, जिसमें 83 प्रतिशत मामलों में संदिग्धों को बरी कर दिया गया। भारत के 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से तीन में ही मानव तस्करी के सभी मामलों में से एक तिहाई होने की जानकारी दी गई, जो कि मानव तस्करी की एक बड़ी समस्या की तुलना में उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिक बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग किए जाने के कारण होने की अधिक संभावना है। सरकार ने मार्च से मई 2020 तक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया; बाद में, नियमित अदालती कार्यवाही और साक्ष्य जुटाए जाने को स्थगित कर दिया गया । वर्ष 2020 के ग्रीष्मकाल के दौरान लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंधों में से कुछ को हटाए जाने के बाद न्यायालयों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग और ऑनलाइन एप्लीकेशन्स का उपयोग करते हुए सुनवाई पुन: प्रारंभ की। भारत के उच्चतम न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों को महामारी के दौरान मानव तस्करी के मामलों की 'वचुर्अल सुनवाई' जारी रखने के लिए ऑनलाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

देश भर में समग्र रूप से कानून, विशेषरूप से बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध, लागू किए जाने के प्रयास, समस्या के पैमाने की तुलना में अपर्याप्त रहे। कानून के तहत पुलिस को एक संज्ञेय अपराध जैसे जबरन मजदूरी या यौन मानव तस्करी, जो कानूनी तौर पर एक आपराधिक जांच शुरू करने के लिए पुलिस को बाध्य करता है, के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किया जाना अपेक्षित है । पुलिस ने हमेशा संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया, आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करने के लिए न ही एफआईआर दर्ज की, अथवा मानव तस्करी के अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज की; और अधिकारियों ने अक्सर शिकायत किए जाने के स्तर पर ही मामलों का निपटारा कर दिया। उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग किए जाने की अवधि के दौरान बाल तस्करी के एक मामले में, पुलिस ने पॉक्सो तथा आईपीसी की धारा 370 (नाबालिगों की मानव तस्करी) की बजाय आईपीसी 360 (अपहरण) के तहत एफआईआर दर्ज की, जिससे कथित मानव तस्करी करने वाले को उसकी गिरफ्तारी के बाद सीधे जमानत पर रिहा किया जा सके। हाल के वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम राज्य के प्राधिकारियों ने कथित तौर पर पुलिस को आदेश दिया कि वह सरकारी आंकड़ों में तस्करी के मामलों की संख्या को कम करने के लिए अपहरण या लापता व्यक्तियों के रूप में मानव तस्करी के मामले दर्ज करे। दिसंबर 2020 के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे बच्चों और मानव तस्करी के गवाहों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि न्यायालयों तक यात्रा करने वाले गवाहों के समय और खर्च के कारण मामलों में होने वाले विलम्ब को कम करने में मदद मिल सके। महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान, जिला न्यायालयों ने पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बाल पीड़ितों सहित अभियोजन पक्ष या पीड़ितों को जमानत से जुड़ी सुनवाई की अधिसूचना प्रदान किए बिना कुछ कथित मानव तस्करों को जमानत दे दी । इसके परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष और पीड़ित, जमानत से जुड़ी सुनवाई में जवाबी दलीलें प्रस्तुत नहीं कर पाए तथा इसके परिणामस्वरूप, कथित मानव तस्करों द्वारा पीड़ितों को डराने धमकाने से जुड़ी चिंताएं बढ़ गईं।

अनेक राज्यों में पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते राष्ट्रव्यापी रूप से बंधुआ श्रम को समाप्त करने प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई । गैर सरकारी संगठनों ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषरूप से बिहार और राजस्थान में कम से कम आधे बंधुआ श्रम के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की। गैर सरकारी संगठनों ने कहा कि कई बार पुलिस ने कथित तौर पर तस्करों को बचाने या पीड़ितों को मुआवजा देने से बचने के लिए मामले दर्ज नहीं किए । वर्ष 2019 में, कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेन्सियों ने बीएलएसए के तहत बंधुआ मजदूरी के 1,155 मामलों की जानकारी प्रदान की, जोकि वर्ष 2018 के दौरान 778 मामलों की वृद्धि है। वर्ष 2019 में अधिकारियों ने बीएलएसए के तहत 33 मामलों में 52 लोगों को दोषी ठहराया और 38 मामलों में 90 लोगों को बरी कर दिया। इन आंकड़ों में वर्ष 2018 की तुलना में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी, जब अधिकारियों ने

बीएलएसए के तहत 198 मामलों में 331 व्यक्तियों को दोषी ठहराया और 142 मामलों में 189 लोगों को बरी कर दिया। वर्ष 2019 की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट में, सरकार ने बीएलएसए सांख्यिकी में उन मामलों को शामिल करना शुरू किया, जिसे जिला और श्रम अधिकारियों ने प्रशासनिक रूप से कार्यवाही की, जिसमें संक्षिप्त विचारण के माध्यम से कार्यवाही किए गए मामले शामिल हैं; इसलिए, चूंकि वर्ष 2018 और 2019 में अधिकांश "दोषसिद्धि" प्रशासनिक निर्णय थे, इसलिए, मानव तस्करों को जुर्माने के रूप में अपर्याप्त दंड प्राप्त हुए, और प्राधिकरणों ने मानव तस्करी से जुड़े अपराधों की आपराधिक जांच नहीं की। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से इक्कीस ने वर्ष 2019 में बीएलएसए के तहत किसी भी बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की पहचान नहीं करने या कोई मामला दर्ज नहीं करने की सूचना दी । वर्ष 2017 अथवा 2018 के दौरान बीएलएसए के तहत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी बंधुआ श्रम पीड़ितों की पहचान नहीं की गई थी अथवा किसी भी मामले दाखिल किया गया था और इसमें बढ़ोतरी दिखी, जबकि इनमें से कुछ राज्यों में लगातार गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया रिपोर्टों ने बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों की जानकारी प्रदान की। वर्ष 2018 के समान ही, उत्तर प्रदेश का बीएलएसए के तहत सभी मामलों में 80 प्रतिशत योगदान रहा, लेकिन साक्ष्यों से यह नहीं पता चलता है कि यह समस्या इतना विकराल रूप धारण किए हुए है, जिससे बंधुआ मजदूरी से निपटने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रश्न चिहन् लगता है। कुछ जिलाधिकारियों ने बंधुआ मजदूरी पीड़ितों को अपने तस्करों के विरूद्ध मामलों को जारी रखने से हतोत्साहित किया और आपराधिक अभियोजन चलाए जाने के स्थान पर मध्यस्थता की। गैर-सरकारी संगठनों ने कर्नाटक की एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग की जानकारी दी जिसके परिणामस्वरूप जनवरी और जून, 2020 के बीच लगभग 500 बंधुआ मजदूरों को शोषण से बचाया गया । तमिलनाडु के अधिकारियों ने वर्ष 2020 के जनवरी से नवंबर माह के बीच लगभग 1,500 बंधुआ मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए 30 से अधिक अभियान चलाए । तथापि, जून 2020 में तमिलनाडु के जिला अधिकारियों ने बंधुआ श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए एक ईंट भट्ठा मालिक को आरोपी नहीं बनाया क्योंकि जिला प्रशासन के पास महामारी से संबंधित बजटीय कमियों के कारण बीएलएसए द्वारा अधिदेशित पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आवश्यक धन नहीं था। इसके बाद, पुलिस ने ईंट भट्ठा मालिक को दो अन्य आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार कर लिया । इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु पुलिस और स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने एक निजी कताई मिल से 173 बच्चों (ज्यादातर युवा लड़कियों) को बचाया। 13 से 18 आयु वर्ष के बच्चों ने बिना किसी दिन की छुट्टी के साथ 14 घंटे प्रतिदिन काम किया। पुलिस ने बाल श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम अथवा बीएलएसए के तहत आरोप दर्ज नहीं किया और इसकी बजाय महामारी के परिणामस्वरूप एक प्रवर्तन संबंधी उपबंध "जीवन के लिए खतरनाक रोग के संक्रमण फैलने की संभावना," के लिए लापरवाही बरतने के आरोप में आईपीसी की धारा 269 और 271 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की।

राज्य सरकारों द्वारा कानूनी रूप से स्थापित किए गए और आंशिक रूप से गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे, एएचटीयू ने मानव तस्करी अपराधों के लिए प्राथमिक जांच बल के रूप में कार्य किया। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकार ने घोषणा की कि वह एएचटीयू का देश के 332 जिलों से 732 जिलों में विस्तार करेगी; सरकार ने वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए जाने वाले इस विस्तार अथवा एएचटीयू की अंतिम संख्या के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की। जुलाई 2020 में, महामारी के चलते, गृह मंत्रालय ने सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को नए एएचटीयू की स्थापना में तेजी लाने और मौजूदा एएचटीयू को सुदृढ़ करने का परामर्श दिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करने, लापता बच्चों के बारे में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाने, पारगमन केन्द्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की गश्ती बढ़ाने और पीड़ित-केंद्रित जांच और सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी परामर्श दिया। गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को अपने 13 जिलों में से प्रत्येक जिले में इकाइयां स्थापित करने के लिए 42.3 मिलियन भारतीय रुपये (आईएनआर) (579,180 अमरीकी डॉलर) और केरल राज्य को ग्रामीण पुलिस जिलों में कार्य कर रहे पांच एएचटीयू में संसाधनों का विस्तार करने के लिए 18 मिलियन रुपये (246,460 अमरीकी डॉलर) जारी किए। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त 40 एएचटीयू गठित करने के लिए 1.6 मिलियन रुपये (21,910 अमरीकी डॉलर) आवंटित करने की जानकारी प्रदान की ताकि उसके सभी 75 जिलों में एएचटीयू मौजूद हो जिन्हें मानव तस्करी पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास को सुकर बनाने के लिए अलग पुलिस स्टेशन के रूप में संचालित किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, महाराष्ट्र ने 36 नए एएचटीयू का गठन किया।

एक गैरसरकारी संगठन की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार केवल 27 प्रतिशत एएचटीयू पूरी तरह से चालू थे और अनेक अभी भी केवल कागज पर मौजूद थे । राष्ट्रव्यापी रूप से राज्य सरकारें और नागरिक समाज इस बात से सहमत थे कि वर्तमान में सक्रिय एएचटीयू में से अधिकांश पर्याप्त रूप से वित्तपोषित या प्रशिक्षित नहीं थे और न ही पूरी तरह से मानव तस्करी को रोकने के लिए

समर्पित थे। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि सरकारी धन ज्यादातर बुनियादी ढांचे के विकास और जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च किया गया था, थोड़ा बहुत ही मानव तस्करी संबंधी जांच के लिए समर्पित था । इसके अतिरिक्त, एएचटीयू अक्सर पुलिस अधिकारियों में कम पसंदीदा कार्य माना जाता था और कई बार सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारियों द्वारा तैनाती ली जाती थी या खराब प्रदर्शन के लिए एक दंड के रूप में अधिकारियों को यहां तैनात किया जाता था। तथापि, अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कुछ एएचटीयू मामलों में जांच करने और सबूत उपलब्ध कराने और पीड़ितों को सशक्तिकरण में प्रभावी थे । कुछ गैर सरकारी संगठनों ने स्थानीय एएचटीयू के साथ अच्छे कामकाजी संबंधों तथा प्रभावी समन्वय की जानकारी दी। मार्च 2020 में, केन्द्र सरकार ने मौजूदा एएचटीयू को सुदृढ़ करने और बांग्लादेश और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं पर नई इकाइयों की स्थापना के लिए 1 बिलियन रुपये (13.69 मिलियन अमरीकी डॉलर) संवितरित किए।

दिसंबर 2020 में, सरकार ने देश भर के 10,000 पुलिस स्टेशनों में "महिला हेल्प डेस्क" स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 1 बिलियन रुपये (13.69 मिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किए। पुलिस ने डेस्क पर स्टॉफ की तैनाती की और अधिवक्ताओं, मनोवैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करते हुए मानव तस्करी सहित अपराध के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और अन्य संबंधित सेवाओं की सुविधा प्रदान की। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सरकार ने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के मामलों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिदेश का विस्तार किया था। अक्तूबर 2020 में, एनआईए ने वर्ष 2019 में हैदराबाद में यौन मानव तस्करी आपराधिक अभियान की खोजबीन के फलस्वरूप 12 व्यक्तियों के विरूद्ध अपने पहले तस्करी मामले में आरोप दायर किए। राज्य स्तरीय पुलिस के भीतर आपराधिक जांच प्रभागों (सीआईडी) ने भी मानव तस्करी की जांच की । राज्यों को बाल यौन तस्करी सहित पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित न्यायालयों को गठित करने का अधिकार था; अप्रैल, 2019 तक, देशभर में 664 पॉक्सो अदालतें थीं। तथापि, कुछ राज्यों में, प्राधिकारियों ने बताया कि पॉक्सो न्यायालयों में न्यायाधीशों और अभियोजकों के पास पॉक्सो अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए कोई प्रशिक्षण या विशेषज्ञता नहीं थी। आमतौर पर, कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेन्सियां, हत्या अथवा नशीली दवाओं के अपराधों की तुलना में तस्करी के मामलों को प्राथमिकता नहीं देती थी, जिससे कुछ मामलों में विचारण की अवधि बढ़ जाती है और आरोपी बरी हो जाता था। विगत में, अनधिकृत ग्राम जाति परिषदों ने कथित तौर पर निचली जाति की महिला यौन तस्करी की पीड़ितों पर आपराधिक मामलों को आगे नहीं बढ़ाने हेतु दबाव डाला, तथापि, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी घटना की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि सभी पुलिस और न्यायिक अकादमियों के पाठ्यक्रमों में मानव तस्करी शामिल था।

मीडिया ने जानकारी दी कि सरकार ने कथित रूप से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन विगत की भांति ही, सरकार ने मानव तस्करी अपराधों में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के किसी भी अभियोजन या दोषसिद्धि की जानकारी नहीं दी। हैदराबाद में, पुलिस ने मई, 2020 में एक सहायक आयकर आयुक्त को 'सेक्स ट्रैफिकिंग स्कीम' में पांच पीड़ितों का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक सरकारी इंजीनियर को 10 साल वर्षों की अवधि के दौरान 50 से अधिक बच्चों का यौन उत्पीड़न करने और दुर्व्यवहार के चित्रों को ऑनलाइन बेचने के लिए गिरफ्तार किया। नवंबर, 2020 के दौरान, पुलिस ने छत्तीसगढ़ की पार्टी के एक पदाधिकारी को यौन मानव तस्करी के मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया; पुलिस ने इस मामले में चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। तथापि, सरकार ने अन्य मामलों में कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोपों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी नहीं दी। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक पूर्व काउन्सल अधिकारी को राजदूत के पद पर पदोन्नत किया, जिसके उपर एक भारतीय घरेलू कामगार के कथित शोषण से संबंधित वीजा धोखाधड़ी के अमेरिका में खुला मामला है। वर्ष 2019 में, तमिलनाडु राज्य के प्राधिकारियों ने स्वीकार किया कि बाल यौन तस्करी और जबरन भीख मंगवाने के रैकेट से लाभान्वित कुछ स्थानीय राजनेताओं को लाभ पहुंचा है और उन्हें दंड भी नहीं दिया गया; सरकार ने ऐसे आरोपों की जांच की रिपोर्ट नहीं दी । पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, दिल्ली महिला आयोग ने दावा किया कि पुलिस ने संगठन के विरूद्ध धोखाधड़ी के आपराधिक आरोप दायर किए ताकि संगठन के मानव तस्करी रोधी प्रयासों में बाधा उत्पन्न की जा सके। असम में कुछ सरकारी स्वामित्व वाले चाय बागानों ने मजदूरी कम भुगतान करके और दैनिक जीवन यापन के खर्चों के लिए अधिक शुल्क प्रभारित कर, आवर्ती ऋण इस प्रकार से तैयार किया कि 37 प्रतिशत श्रमिकों के दैनिक व्यय उनकी दैनिक आय से अधिक हो गए थे। कुछ कानून प्रवर्तन करने वाली एजेन्सियों के भावी छापों के बारे में मानव तस्करों को पहले से सचेत करने के बदले में मानव यौन तस्करी करने वाले प्रतिष्ठानों से रिश्वत प्राप्त हुई तथा पीड़ितों से यौन सेवाएं प्राप्त हुईं।

कदाचार और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही का अभाव, सरकार के विभिन्न स्तरों पर कायम रहा, जो मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए दंड से बच निकलने की व्यापक धारणा में अपना योगदान दे रही है। पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव ने ऐसे मामलों की पहचान और जांच में बाधा डाली। अनेक राज्यों में गैर सरकारी संगठनों ने राजनीति से जुड़ाव रखने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी, जिनमें स्थानीय और राज्य के राजनेता शामिल हैं, जिन्होंने कृषि और ईंट भट्ठों पर बंधुआ मजदूरी में श्रमिकों को रखा और सफलतापूर्वक अभियोजन से बच निकले। सिविल सोसाइटी ने कई ऐसे अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया जिनमें पुलिस ने कथित अपराध में शामिल रहे अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया ।

पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सरकार ने बिहार के एक आश्रय गृह में दुर्व्यवहार की एक उच्च स्तरीय जांच की, जिसके परिणामस्वरूप 19 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 12 को सरकारी वित्तपोषित आश्रय में रहने वाली 44 से अधिक बालिकाओं के यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए गए लोगों में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और एक पूर्व विधायक सहित राज्य के तीन अधिकारी शामिल थे। बिहार में इस कार्रवाई के बावजूद, मानव तस्करी से जुड़े संदिग्ध अपराधों की जांच के अभाव के चलते व्यापक लापरवाही के कारण सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्तपोषित आश्रयों में मानव तस्करी के पीड़ितों के व्यापक शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार ने आश्रय के कर्मचारियों के लिए अवैध व्यापार में शामिल होने के लिए दंडित नहीं होने की भावना का माहौल तैयार किया । वर्ष 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर के संस्थानों को अपने वयस्क और बाल मानव तस्करी पीड़ितों की देखभाल करने वाले आश्रय गृहों सहित राज्य के आश्रय गृहों की स्थिति की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया । इस घोषणा के अनुपालन में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भारत में 7,163 चाइल्ड केयर इंस्टीटयूशन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें से 88 प्रतिशत गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी आश्रयों में से 40 प्रतिशत आश्रय गृहों में बच्चों के शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं थे । इसके अलावा, कर्मचारियों को ठीक से दुरुपयोग के संकेत पहचानने अथवा उपर्युक्त प्राधिकारियों को सावधान करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया ।

सुरक्षा

सरकार ने पीड़ित पहचान और सुरक्षा के समग्र प्रयासों को बनाए रखा, लेकिन बंधुआ मजदूरों की पहचान और सुरक्षा अपर्याप्त रही । वर्ष 2019 में, सरकार ने 5145 मानव तस्करी के पीड़ितों और 2505 मानव तस्करी के संभावित पीड़ितों की पहचान किए जाने की जानकारी दी, जोकि वर्ष 2018 में पहचान किए गए 3946 मानव तस्करी पीड़ितों और 1625 मानव तस्करी के संभावित पीड़ितों की तुलना में वृद्धि थी । वर्ष 2019 में, प्राधिकारियों ने श्रम मानव तस्करी में 3133 पीड़ितों की पहचान की, जिनमें बंधुआ मजदूरी में 1549, यौन मानव तस्करी में 2012 पीड़ित शामिल हैं, और पहचान किए गए मानव तस्करी के 2505 संभावित पीड़ितों के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी । पहचान किए गए मानव तस्करी के 94 प्रतिशत पीड़ित भारतीय थे, लगभग 57 प्रतिशत वयस्क थे, और 62 प्रतिशत महिलाएं थी। बंधुआ मजदूरी के जाल में फंसे लगभग 08 मिलियन भारतीयों के अनुमान के बावजूद, वर्ष 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संसद को बताया कि सरकार ने वर्ष 1976 के बाद से सरकार ने केवल 313687 की पहचान की और उन्हें मुक्त कराया। इसके अलावा, मानव तस्करों के विरूद्ध कानून प्रवर्तन प्रयासों की कमी के कारण, 10 राज्यों में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन ने बताया कि मुक्त कराए गए 60 प्रतिशत से अधिक पीड़ित मुक्त होने के बाद पुन: बंधुआ मजदूर बन गए। कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य, जहां प्राधिकारी बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिक सक्रिय रूप से कार्रवाई करते हैं वहां सर्वाधिक बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों पहचान की गई जहां क्रमश: 130249 तथा 964 पीड़ितों की पहचान की गई जोकि देश में पहचान किए गए बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों की कुल संख्या का 87 प्रतिशत है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 में तस्करी पीड़ित पहचान के लिए मानक प्रक्रियाएं बनाईं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि कितने राज्यों ने उन्हें अपनाया था । राज्य के राजस्व अधिकारियों पर बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की पहचान करने की जिम्मेदारी थी, फिर भी एनजीओ ने ज्यादातर मामलों की पहचान की । राज्य की सरकारी एजेंसियों के बीच खराब अंतर-राज्यीय समन्वय ने मानव तस्करी की जांच और पीड़ितों की सेवाएं प्राप्त करने की क्षमता में बाधा डाली, जिसमें उनके गृह राज्यों में दीवानी और आपराधिक मामलों में भाग लेना शामिल है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने बच्चों के लिए हॉटलाइन सहित कुछ व्यापक राष्ट्रीय बाल संरक्षण तंत्रों और लापता बच्चों की पहचान करने और उन्हें उनके शोषण अथवा उस स्थिति से हटाने के लिए एक प्रणाली को

समर्थन करना जारी रखा। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने बाद में, कुछ तस्करी "छापा और बचाव" अभियानों को कम कर दिया। तथापि, मीडिया ने बताया कि रेलवे और ट्रांजिट पुलिस ने वर्ष 2020 में मानव तस्करी के अपराधियों और पीड़ितों को बाधित करने और अवरूद्ध करने के लिए परिवहन केंद्रों की गश्त बढ़ा दी ।

सरकार ने यह जानकारी नहीं दी कि उसने कितने मानव तस्करी के पीड़ितों की सहायता की अथवा कितने पीड़ितों को देखभाल में रखे जाने के लिए भेजा। सरकार के पास बाल और वयस्क महिला मानव तस्करी पीड़ितों के लिए आश्रय और सेवाएं थी, तथापि, उनकी गुणवत्ता, निरंतरता और उपलब्धता विविध थी। पुलिस बंधुआ श्रम पीड़ितों के अलावा, सभी वयस्क और बाल तस्करी पीड़ितों को उचित देखभाल के लिए राज्य न्यायपालिका और सीडब्ल्यूसी को भेज सकती है। सीडब्ल्यूसी ने सामान्यत: बाल तस्करी के शिकार बच्चों को उनके माता पिता को लौटा दिया था, जिनमें से कुछ ने स्वयं अपने बच्चों को मानव तस्करी में धकेला था। जब सीडब्ल्यूसी ने बाल तस्करी पीड़ितों की देखभाल के लिए भेजा था, तब उन्होंने बच्चों को निजी तौर पर चलने वाले आश्रय गृहों, सरकार द्वारा संचालित किशोर न्याय गृहों (जिनमें से बाल पीड़ितों को अपराधों के आरोपी बच्चों के साथ रखा), सरकार द्वारा संचालित महिलाओं और बाल गृहों, में रखा, जिनमें से कुछ ने पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नियमित रूप से दुराचार किए जाने की जानकारी दी। जबकि, न्यायाधीश बंधुआ श्रम पीड़ितों को देखभाल के लिए भेज सकते हैं, परंतु वहां अधिकारियों ने ऐसा किया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी । न्यायाधीशों द्वारा आईटीपीए के तहत पहचान किए गए सभी वयस्क मानव तस्करी पीड़ितों को तीन सप्ताह तक सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रयों गृहों में रहने की आवश्यकता हो सकती है और पीड़ित जो एक साक्षी अथवा पीड़ित के रूप में चल रहे कानूनी मामले का भाग थे, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आश्रय नहीं छोड़ सकते थे। सरकार ने उन आश्रयों का संचालन या वित्तपोषित नहीं किया जो वयस्क पुरुषों को आश्रय दें ।

सरकार द्वारा संचालित और वित्तपोषित आश्रय गृह अपर्याप्त थे, जिनमें स्थान, वित्तीय संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की गंभीर कमी थी । गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से दान-दाताओं द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर आश्रित थे, जबकि, उनमें से कुछ ने सरकारी धनराशि प्राप्त की । गैर-सरकारी संगठनों को सरकारी धनराशि के संवितरण में कई वर्षों का विलम्ब हुआ । वर्ष 2020 में, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन ने सहायता प्राप्त कर्ता मूल भारतीय गैर-सरकारी संगठन से अन्य गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान प्रदान करने पर रोक लगी जिससे सहयोग और समन्वय पर लगाम लगाई गई और मानव तस्करी रोधी गैर-सरकारी संगठनों सहित उनकी गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। एमडब्ल्यूसीडी ने राज्य सरकारों को महिला यौन तस्करी पीड़ितों के लिए उज्ज्वला कार्यक्रम के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा संचालित आश्रय और पुनर्वास (वर्ष 2019 में 134 की तुलना में 136 आश्रयों का संचालन) और कठिन परिस्थितियों में में फंसी महिलाओं के लिए स्वाधार गृह कार्यक्रम (वर्ष 2018 में 514 की तुलना में 417) आश्रयों का संचालन करने के लिए निधियां प्रदान करना जारी रखा)। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के बजट में स्वाधार गृह और उज्जवला कार्यक्रमों को 250 मिलियन रुपये (3.42 मिलियन अमरीकी डॉलर) आवंटित किए, लेकिन वर्ष 2021-2022 के बजट के लिए अलग आवंटन शामिल नहीं किया। एमडब्ल्यूसीडी ने यौन मानव तस्करी सहित सभी अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर (ओएसएसी) चलाया । वर्ष 2019 में 506 की तुलना में दिसंबर, 2020 तक, संपूर्ण भारत में 700 ओएससी काम कर रहे थे। इसने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की कि क्या केन्द्रों ने किन्हीं मानव तस्करी के पीड़ितों को सहायता प्रदान की और पूर्व में कुछ गैर सरकारी संगठनों ने रिपोर्ट की कि ये केन्द्र अप्रभावी थे तथा इनका मूल्यांकन करना मुश्किल था।

मीडिया, गैर सरकारी संगठन और प्राधिकारी, सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा वित्तपोषित और निजी तौर पर चलाने के आश्रयों में निगरानी के अभाव और लापरवाही को उजागर करते रहे जिसके परिणामस्वरूप कई बार उनके निवासियों से दुर्व्यवहार और मानव तस्करी की जाती थी। अनेक मामलों में, ऐसे आश्रय गृहों ने कई बार कथित राजनीतिक संपर्कों के चलते, अनिवार्य रिपोर्टिंग और दुर्व्यवहार के आरोपों में व्याप्त एक बड़े अंतराल के बावजूद काम जारी रखा । सीडब्ल्यूसी को नियमित रूप से पीड़ितों के आश्रयों की निगरानी और पीड़ितों के मामलों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था, तथापि, उनकी प्रभावकारिता अलग- अलग राज्यों में अलग- अलग रही । सीडब्ल्यूसी ने महामारी के दौरान तस्करी को रोकने के

लिए अंतरएजेंसी सहयोग को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 9500 बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की जांच की जिससे यह पता चला कि 40 प्रतिशत संस्थानों में बच्चों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त उपायों का अभाव था और एक तिहाई का पंजीकरण नहीं था और इसलिए वे अल्प अथवा बिना किसी निरीक्षण के संचालित हो रहे थे । इसके अलावा, इसने यह जानकारी प्रदान की कि सीसीआई ने मानव तस्करी के पीड़ितों सहित अधिकांश बाल निवासियों को शारीरिक दंड दिया, घटिया भोजन प्रदान किया, अपर्याप्त चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान की और शिक्षा अथवा कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान नहीं किया । इस जांच के उत्तर में सरकार ने वर्ष 2018 और 2019 के बीच 539 सीसीआई को बंद कर दिया और अन्य को पंजीकृत किया लेकिन यह जानकारी नहीं दी कि क्या उन्होंने उनके स्वामियों के विरूद्ध कोई आपराधिक आरोप दायर किया और उन्होंने निवासियों को आगे कहां भेजा । फरवरी, 2020 में महिला और बाल विकास मंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी सीसीआई का निरीक्षण करने और दुर्व्यवहार की शिकायतों की नियमित समीक्षा सहित अपेक्षित निगरानी और मूल्यांकन को लागू करने का निदेश दिया । तथापि, सरकार ने इस निदेश के परिणाम की जानकारी नहीं दी और महामारी के कारण, देश भर में सामाजिक कार्यकर्ता, शेल्टर होम में तस्करी पीड़ितों से जल्दी संपर्क बनाने अथवा उनका प्रभावी मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिपोर्ट थी कि कोविड-19 के संचरण के भय के कारण, कुछ मामलों में सरकार के दबाव के परिणामस्वरूप कुछ सीसीआई परिवारों को बच्चों को लौट आए। एनसीपीसीआर ने आठ राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्हें कोविड-19 संचरण को रोकने के उपाय के रूप में अपने परिवारों के साथ बच्चों को पुन: मिलाने का निर्देश दिया। तमिलनाडु में, एक गैर सरकारी संगठन ने जानकारी प्रदान की कि मार्च, 2020 में लगभग 56,000 बच्चे शेल्टर होम में रहते थे लेकिन अगस्त, 2020 तक केवल 6,000 आश्रय गृहों में रहते थे। अक्तूबर 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने एनसीपीसीआर को अपने निर्देश के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने को कहा क्योंकि सीडब्ल्यूसी एकमात्र निकाय था जो अपने परिवारों के साथ बच्चों के पुन: मिलाने का आदेश देने के लिए प्राधिकृत था और इन चिंताओं को उठाया कि बच्चों को दुर्व्यवहार वाली स्थितियों में तो नहीं डाल दिया गया।

उज्जवला और स्वाधार गृहों में भी पंजीकरण के समान स्तर थे। कानून में तथा कथित एक पेंच के कारण, यदि सरकार ने एक निर्धारित समय सीमा में आश्रय के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की, तो संगठन को स्वचालित रूप से लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। जब भी एक लाइसेंस आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आश्रय गृह के अनेक निरीक्षण किए जाने होते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि अधिकारियों ने वास्तव में यह निरीक्षण किए अथवा नहीं। कथित तौर पर, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने जानबूझकर लाइसेंस प्रदान किए जाने की समय सीमा को लांघा ताकि अपेक्षाएं पूर्ण नहीं करने वाले परंतु राजनीतिक रूप से जुड़े संगठनों को लाइसेंस हासिल करने दिया जाए। जिन राज्यों ने उज्ज्वला और स्वाधार गृह आश्रयों की जांच की अनुमति दी, उनमें पिछली जांच के दौरान पाया गया कि अनेक आश्रय गृहों में न्यूनतम स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया, मनो-सामाजिक सहायता अथवा शैक्षिक अवसर प्रदान नहीं किए और उन्हें उचित पंजीकरण के बिना संचालित किया गया। इसके अलावा, कुछ आश्रय गृहों में आश्रय गृहों ने छात्रावासों के रूप में कार्य किया और आवास के लिए गैर पीड़ित निवासियों से धनराशि प्रभारित की। आश्रय गृहों के असुरक्षित हालातों और 'केयर टेकर' द्वारा दुर्व्यवहार के कारण, प्राधिकारियों ने ऐसे अनेक मामलों की जानकारी दी जिनमें बच्चों सहित निवासी पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन आश्रयों से भाग गए। एमडब्ल्यूसीडी ने सरकार द्वारा संचालित और वित्तपोषित आश्रय गृहों में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बाल संरक्षण नीति के प्ररूप पर एक अद्यतन जानकारी प्रदान नहीं की जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2018 में तैयार करने का आदेश दिया था ।

चार राज्यों ने पहले बाल अनुकूल न्यायालयों अथवा प्रक्रियाओं के प्रयोग की जानकारी प्रदान की थी, जिसमें कुछ ऐसे भी न्यायालय शामिल थे, जिन्होंने पीड़ितों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से साक्ष्य देने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, न्यायालों ने कथित तौर पर महामारी के कारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग क्षमताओं का विस्तार किया, तथापि, यह किस स्तर पर किया गया था इसके बारे में पता नहीं था। फरवरी, 2021 में, मानव तस्करी के परीक्षणों में तेजी लाने और मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के उपाय के एक भाग के रूप में दो बाल मानव तस्करी पीड़ितों ने एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गवाही दी; 600 मील की यात्रा करने के बजाय, बालक अपने गांव से 25 मील की दूरी पर स्थित एक स्थानीय न्यायालय में गए। अन्य मामलों में, साक्षियों के संरक्षण सहित पीड़ित संरक्षण के उपायों और कानूनी सहायता प्रावधानों के अपर्याप्त कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पीड़ितों ने विचारण में भाग लेने से मना कर दिया। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि न्यायाधीशों ने कई मामलों को बंद कर

दिया क्योंकि सरकार ने पीड़ितों को विचारण का भाग बनने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। जबकि, आपराधिक मामलों में पीड़ित अपने मानव तस्कर से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, न्यायालयों द्वारा शायद ही कभी यह प्रदान किया गया हो। न्यायाधीश, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से मानव तस्करी के पीड़ितों को मुआवजे प्रदान किए जाने का आदेश दे सकते हैं, जिसे सामान्यत: केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और राज्य के स्तर पर प्रशासित किया जाता है, परंतु शायद ही कभी ऐसा किया गया हो। पिछले अपराध के सरकारी आंकड़ों के गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2010 और 2018 के बीच पहचाने गए 38503 मानव तस्करी पीड़ितों में से न्यायाधीशों ने केवल सक्रिय रूप से 102 (एक प्रतिशत से भी कम) को मुआवजा दिया, तथापि, हाल के वर्षों में मुआवजे में कुछ मामूली सुधार हुए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य और जिला विधिक कार्यालयों ने नियमित रूप से मानव तस्करी पीड़ितों को सूचित नहीं किया कि वे मुआवजा प्राप्त करने के पात्र हैं। जब उन्होंने भुगतान किया भी तो आमतौर पर किया गया भुगतान राज्य के पास धन की कमी के कारण विलम्बित हुआ था। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कोलकाता स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने मानव तस्करी के एक उत्तरजीवी को 876,410 रुपये (12,000 अमरीकी डालर) का मुआवजा प्रदान किया, जो पश्चिम बंगाल में किसी डीएलएसए द्वारा दिया गया सबसे अधिक मुआवजा है। डीएलएसए ने लंबित पॉक्सो मामलों, अंतरिम मुआवजे के अभाव, आगामी परीक्षण की अवधि, अपराध के मनोवैज्ञानिक प्रभावों और पीड़ित द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा के आधार पर यह राशि प्रदान की । जबकि, प्राधिकारियों ने 2012 के बाद से पश्चिम बंगाल में केवल 14 पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया है, उन निर्णयों में से 11 निर्णय, सितंबर 2019 और मार्च, 2020 के बीच दिए गए थे और प्रदान की गई राशि पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक थी। प्राधिकारियों ने मार्च, 2020 के बाद, अतिरिक्त 90 मुआवजे के आदेश जारी किए, तथापि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भी भुगतान किया जाना लंबित था । कुछ राज्यों, जैसा कि केंद्र सरकार की वर्ष 2016 की बंधुआ श्रम योजना में अनुमेय था, ने नियंत्रित किया था कि पीड़ित इस मुआवजे का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें इसे 'एन्यूटी स्कीम' में डालना अपेक्षित बनाया था। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजे की राशि को 10 वर्षों में छोटे, मासिक निकासी तक सीमित करने की पश्चिम बंगाल की नीति के विरूद्ध निर्णय दिया।

केंद्र सरकार एक कार्यक्रम को वित्तपोषित करती है जिसके माध्यम से जिला अधिकारियों ने बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों की पहचान की और उन्हें 'रिलीज सर्टिफिकेट' प्रदान किए जो गैर-मौद्रिक सहायता और उनके तस्करों को सजा देने पर मुआवजे तक पहुंच प्रदान करते हैं । वर्ष 2016 में, सरकार ने महिला यौन तस्करी और प्राप्तकर्ताओं के रूप में जबरन बाल मजदूरी के पीड़ितों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम में संशोधन किया और स्थानीय जिला अधिकारियों को पहचान के 24 घंटे के भीतर एक पीड़ित को 20000 रुपये (274 अमरीकी डालर) की तत्काल मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया, चाहे संबंधित अदालत के मामले की स्थिति कुछ भी हो । समग्र मुआवजा राशि को जारी किया जाना (पीड़ित की जनसांख्यिकीय के आधार पर 100,000 रुपये [1,370 अमरीकी डालर] और 300,000 रुपये [4,110 अमरीकी डालर] के बीच) मानव तस्करी की दोषसिद्धी अथवा मजिस्ट्रीरियल प्रक्रियाओं की समाप्ति पर आधारित है, जिसमें अनेक वर्ष लग सकते हैं। सरकार ने पर्याप्त रूप से इस कार्यक्रम के किसी भी चरण को लागू नहीं किया और जब राज्यों ने कार्यक्रम को लागू किया था, यह अक्सर गैर सरकारी संगठनों के निरंतर पक्ष समर्थन के कारण किया गया था । कुछ राज्यों में बंधुआ मजदूरी के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एसओपी थे । दिल्ली सरकार के पास बंधुआ मजदूरी पीड़ितों को बचाने के लिए एसओपी था। मार्च, 2020 में कर्नाटक ने नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से मानव तस्करी पर एक व्यापक एसओपी जारी किया जिसमें यौन मानव तस्करी, पीड़ितों की पहचान, जबरन बच्चों से भीख मांगवाना, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम को शामिल किया गया है । जुलाई, 2020 में तमिलनाडु ने प्रवासी कामगारों में बंधुआ मजदूरी की समस्या का निराकरण करने के लिए एक एसओपी जारी किया। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को सतर्कता समितियां बनाने और उनके शोषणात्मक परिस्थितियों से हटाए गए बंधुआ मजदूरों के कल्याण की निगरानी करने का भी निर्देश दिया । सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि क्या किसी अन्य राज्य में बंधुआ मजदूरी से जुड़े एसओपी हैं।

सरकार ने यह जानकारी नहीं दी है कि मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच लगभग 2,300 प्रदान किए 'रिलीज सर्टिफिकेट' की तुलना में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उसने कितने 'रिलीज सर्टिफिकेट' प्रदान किए । अनिवार्य 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी करने में राज्यों के बीच काफी भिन्नता थी लेकिन कई राज्यों में अधिकारियों ने जानी मानी एनजीओ से जबर्दस्त पैरवी करवाए बिना 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी नहीं किए, जिसमें वर्षों का समय लग सकता है। गैर सरकारी संगठनों ने जानकारी प्रदान की कि मुआवजा

योजनाएं बहुत देर से पीड़ितों को वित्तपोषण उपलब्ध कराती थी- पीड़ित के उत्तरजीवियों को कितना मुआवजा मिलेगा इस बात निर्धारण करने में वर्षों की प्रतीक्षा की और कई बार राज्य के अधिकारियों ने सीमित धनराशि के चलते भुगतान करने में विलम्ब किया। महामारी के दौरान इन कमियों में और अधिक वृद्धि हुई। एक गैरसरकारी संगठन के अनुसार, राज्य के प्राधिकारियों ने असंगत प्रतीत होने वाले साक्ष्यों, पहचान के दस्तावेजों के अभाव तथा दासता के प्रमाण के न होने के कारण बमुश्किल ही कभी बच्चों को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के रूप में वर्गीकृत किया। इसके विपरीत, तमिलनाडु में कुछ गैरसरकारी संगठनों ने सरकार के साथ सहयोग करने और 'रिलीज सर्टिफिकेट' प्राप्त करने में सफल होने की जानकारी प्रदान की, तथापि कुछ छोटे गैर सरकारी संगठनों को कम सफलता मिली। प्राधिकारी, बंधुआ मजदूरी को गलत तरह से पहचानने अथवा इसे श्रमिक शोषण, बाल श्रम अथवा न्यूनतम मजदूरी संबंधी उल्लंघन के रूप में मानते रहे और पहचान नहीं होने पर पीड़ितों को अनिवार्य 20,000 भारतीय रुपये (274 अमरीकी डालर) नहीं प्रदान किए । कुछ पुलिस अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ थे कि मानव तस्करी के पीड़ितों पर यह सुरक्षा दी जानी होती है जिन्हें मानव तस्करों ने अन्य प्रकार के बल या दबाव के साथ अपने जाल में फंसा लिया था । पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, अरुणाचल प्रदेश के प्राधिकारियों ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पहचाने गए बंधुआ मजदूरों को अनिवार्य 'रिलीज सर्टिफिकेट' और मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने दावा किया था कि उसने वर्ष 1998 में ही बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया था । मई, 2020 में उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह एक ईंट भट्ठे में 187 बंधुआ मजदूरों को उन पर होने वाले शोषण से मुक्त करे और 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी करे। बिहार सरकार ने कहा कि महामारी से संबंधित लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे बिहार के प्रवासी कामगारों की बड़ी संख्या में आमद के कारण पीड़ितों की मदद करने में असमर्थ है। केंद्र सरकार ने बताया कि उसके पास सभी पहचाने गए बंधुआ मजदूरों को प्रारंभिक मुआवजा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी और वर्ष 2016 की योजना के लिए प्रत्येक राज्य के पास जिलाधिकारियों के लिए हर समय कम से 01 मिलियन भारतीय रुपये (13690 अमरीकी डालर) के साथ एक स्थायी कोष बनाया जाना अपेक्षित था ताकि वे इसका विशेषरूप से बंधुआ मजदूर पीड़ितों के लिए उपयोग कर सकें। तथापि, बिहार ने पहले दावा किया था कि केंद्र सरकार ने उन्हें पूर्व में बंधुआ मजदूरी के मुआवजे की प्रतिपूर्ति नहीं की थी और कई राज्यों में कोष गठित नहीं किए गए थे, जिससे मुआवजा प्रदान किए जाने में विलम्ब हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानून प्रवर्तन और जिला अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को 'रिलीज सर्टिफिकेट' देने का आदेश दिया । हालांकि, जब कभी भी गैरसरकारी संगठनों या बंधुआ श्रम पीड़ितों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से 'रिलीज सर्टिफिकेट' प्राप्त करने हेतु सहायता करने का अनुरोध किया, तब वह इसे प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों को काफी समय और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की किए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य और स्थानीय अधिकारियों को किसी व्यक्ति विशेष को 'रिलीज सर्टिफिकेट' जारी करने के आदेश जारी कर सकता है, लेकिन गैर-अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं था। सक्रिय रूप से पीड़ित की पहचान नहीं किए जाने के कारण, आपराधिक अभियोजन चलाने के स्थान पर प्रशासनिक रूप से बंधुआ मजदूरी के मामलों पर कार्रवाई किए जाने संबंधी व्यापक प्रवृत्ति के चलते पीड़ितों को कभी-कभार ही पूरा मुआवजा मिला। तेलंगाना राज्य में सरकार ने वर्ष 2012 से 2019 से शोषण से बचाए गए 1174 बंधुआ मजदूर पीड़ितों में से किसी को भी पूरा मुआवजा नहीं दिया क्योंकि उसने बीएलएसए के तहत किसी भी मानव तस्कर को दोषी नहीं ठहराया था । तथापि, जून 2020 में तेलंगाना में 12 बंधुआ मजदूर पीड़ितों को शोषण से बचाए जाने के दो साल बाद पूरा मुआवजा मिला। जबकि, वर्ष 2016 की योजना में राज्यों को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण सहित गैर-नकद लाभ प्रदान किया जाना भी अपेक्षित था, ऐसी सेवाओं को कम अथवा नहीं के बराबर ही उपलब्ध कराया गया।

विदेशी पीड़ितों को भी भारतीय नागरिकों के समरूप ही आश्रय और सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त थी । विदेशी पीड़ितों के संबंध में सरकारी नीति जल्द से जल्द उन्हें अपने मूल देश में प्रत्यावर्तित किए जाने की वकालत करती है। प्राधिकरणों ने निर्वासित किए जाने तक विदेशी यौन मानव तस्करी के पीड़ितों को आश्रयों में हिरासत में रखा और अपने देश लौटने के इच्छुक विदेशी पीड़ितों का निर्वासन तथा पीड़ितों के प्रत्यावर्तन में नौकरशाही से संबंधित बाधाओं के चलते वर्षों का समय लग सकता है। जुलाई, 2020 में नेपाली मानव तस्करी पीड़ितों का एक समूह उनके स्वदेश वापसी के संबंध में स्पष्ट प्रक्रियाओं के अभाव में मणिपुर के एक आश्रय में फंसे हुए थे । कुछ अधिकारियों ने पीड़ितों को तब तक स्वदेश भेजने से इनकार कर दिया जब तक कि वे अपने मानव तस्करों के विरूद्ध अभियोजन में साक्षी नहीं बने। सरकार ने बांग्लादेशी मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान और प्रत्यावर्तन के संबंध में बांग्लादेश सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए अपने वर्ष 2015 के समझौता ज्ञापन की समीक्षा जारी रखी। लंबी और जटिल अनुमोदन प्रणाली ने कुछ बांग्लादेशी पीड़ितों को स्वदेश वापसी से पहले वर्षों तक भारतीय आश्रयों में पड़े रहने के लिए मजबूर

किया । मीडिया ने जानकारी दी कि 180 बांग्लादेशी यौन मानव तस्करी के शिकार लोग पश्चिम बंगाल के विभिन्न आश्रयों में स्वदेश वापसी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से अनेक ने 15 चरणों की अनुमोदन की प्रक्रिया के समापन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की है। सरकार ने बाल तस्करी पीड़ितों को स्वदेश भेजने के लिए गैर सरकारी संगठनों को कुछ निधियां प्रदान की परंतु वयस्कों के प्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं की । विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने मानव तस्करी के पीड़ितों के रूप में पहचाने गए भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की । गृह मंत्रालय ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से मानव तस्करी के पीड़ितों सहित मध्य पूर्व में स्थित संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को स्वदेश भेजने की सुविधा प्रदान की । विदेशों में, मुख्य रूप से खाड़ी में स्थित छह भारतीय दूतावासों में ऐसे आश्रय स्थल मौजूद थे जो जबरन मजदूरी के गंभीर संकेतों वाली महिला प्रवासी कामगारों को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान कर सकते थे । ओमान में दो दूतावास आश्रयों में संदिग्ध तस्करी पीड़ितों ने पूर्व में उल्लेख किया कि आश्रयों ने पर्याप्त भोजन, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी अथवा पीड़ितों को परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी ।

प्राधिकरणों ने हमेशा संवेदनशील आबादी के बीच मानव तस्करी किए जाने की छानबीन करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रभावी ढ़ंग से उपयोग नहीं किया और गिरफ्तारियां की, जुर्माना लगाया, दंडित किया और मानव तस्करी करने वालों द्वारा मजबूर किए जाने पर कुछ वयस्क और बच्चों द्वारा किए गए गैरकानूनी कृत्यों के लिए उन्हें निर्वासित किया। मानव तस्करी पीड़ितों का दंडित किया जाना व्यवस्थित नहीं था, लेकिन आमतौर पर यौन मानव तस्करी के पीड़ितों को उत्प्रवास संबंधी उल्लंघनों और वेश्यावृत्ति से जुड़े अपराधों के लिए दंडित किया गया। सरकार को उन भारतीयों, जिन्होंने विदेशी सरकार से वीजा प्राप्त हुआ था, यह दर्शाया जाना अपेक्षित किया क्या कि वह व्यक्ति विदेशी में तस्करी का शिकार हुआ था अथवा वह पीड़ित का परिवार का सदस्य था और उन्हें अपने पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को नवीनीकृत करने के लिए मानव तस्करी से जुड़े अनुभव का दस्तावेजीकरण प्रदान किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2016 में, सरकार ने विदेशी सरकार के वीजाधारियों मानव तस्करी पीड़ितों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों दोनों के पासपोर्ट में एक स्टाम्प लगाना आरंभ कर दिया, जिससे उनकी किसी एक विशेष जांच या दीवानी अथवा आपराधिक मामले में शामिल मानव तस्करी के पीड़ित के रूप में पहचान की; यह प्रक्रिया वर्ष 2020 में भी जारी रही जिसमें सरकार ने प्राप्तकर्ता के पासपोर्ट में एक मुहर लगा कागज जोड़ा। जबकि स्टाम्प, प्राधिकरणों को वीजा धारक को बिना किसी बाधा के यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है, इस पद्धति से परिचित कुछ गैरसरकारी संगठनों ने नोट किया कि इससे कुछ पीड़ित प्रतिशोध और दंड के प्रति भयभीत हो गए और इसने पीड़ितों को प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने से अवरूद्ध किया।

रोकथाम

सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के प्रयास जारी रखे, हालांकि समस्या की व्यापकता की तुलना में प्रयास अपर्याप्त रहे । एमडब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता वाली सरकार की अंतर-मंत्रालयी समिति ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की । तथापि, सरकार ने बताया कि उसने महिलाओं और बच्चों की यौन मानव तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2012 की राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी रखा, लेकिन उसने उसके कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों अथवा कार्रवाई के समन्वय के लिए किसी बैठक को बुलाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी । वर्ष 2016 से, केंद्र सरकार ने हर तीन साल में एक बार ऐसे किसी भी जिले में 450000 भारतीय रुपये (6160 अमरीकी डालर) की प्रतिपूर्ति की पेशकश की है जिसने बंधुआ मजदूरों की जनगणना की और मूल्यांकन अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि मुहैया करवाई। तमिलनाडु श्रम और रोजगार विभाग ने वर्ष 2019 में वित्तपोषण को स्वीकार किया और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बंधुआ मजदूरों के डाटाबेस को तैयार करने का कार्य आरंभ किया ताकि बंधुआ मजदूरों और उद्योग जिनमें उनका शोषण किया जा रहा था, उनकी संख्या की पहचान की जा सके। महामारी के कारण सुभेद्य जनसंख्या के लिए बढ़ते मानव तस्करी के जोखिमों को कम करने के प्रयास स्वरूप, सरकारी एजेंसियों ने मानव तस्करी से निपटने के लिए जागरूकता अभियान हेतु परामर्श तथा एसओपी जारी किए साथ ही, मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बाल मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान करने और संवेदनशील आबादी की निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ पारगमन और गंतव्य स्थानों पर मानव तस्करी की निगरानी के लिए स्थानीय नेताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाने की सिफारिश की गई है । रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि अधिकारी, मानव तस्करी के जोखिम को कम करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील समुदायों को

सहायता प्रदान करें । गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से बढ़ी हुई कार्रवाई का स्वागत किया लेकिन उसे आगाह किया कि कार्यान्वयन असमान है और महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं । रेल मंत्रालय ने बिना किसी के साथ रहने वाले तथा मानव तस्करों की चपेट में आने वाले संभावित बच्चों को सहायता देने के लिए स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की संख्या 84 से बढ़ाकर 139 कर दी।

तस्करी रोधी निवारक उपाय, राज्य दर राज्य व्यापक रूप से भिन्न थे। कुछ राज्य सरकारों ने मानव तस्करी रोधी जागरूकता अभियान चलाए, तथापि, गैर सरकारी संगठनों ने जानकारी दी कि स्थानीय अधिकारियों, प्रवासी कामगारों और कृषि कामगारों में अभी भी मानव तस्करी और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव था। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने दिनांक 09 फरवरी, 2021 को बीएलएसए को तैयार किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "बंधुआ मजदूरी रोधी दिवस" के रूप में मनाया और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बंधुआ मजदूरी के बारे में जन जागरूकता अभियानों में वृद्धि की। अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने सार्वजनिक समारोहों पर महामारी से संबंधित प्रतिबंधों की जानकारी दी, जिससे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्थानीय और राज्य सरकारों की नए जागरूकता अभियान शुरू करने या मौजूदा जागरूकता अभियानों को जारी रखने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई । अनेक राज्य सरकारों ने महामारी से संबंधित प्रारंभिक लॉकडाउन के तुरंत बाद आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों को निलंबित या संशोधित किया । इन बदलावों में कुछ उद्योगों के लिए अधिकतम काम के घंटों की उच्च सीमाएं, सामाजिक सुरक्षा संबंधी भुगतान में कमी, औद्योगिक विवाद समाधान का आस्थगन और हड़ताल करने के अधिकार को निलंबित करना शामिल था । संवेदनशील समूहों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 'ट्रेड यूनियनों' और श्रमिकों से जुड़े अधिवक्ताओं ने परिवर्तनों की आलोचना की । राज्य सरकारों ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक सुधार के उपायों के परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरी, पोस्को अथवा किसी अन्य तस्करी विरोधी कानून को दरकिनार नहीं किया गया ।

सरकार ने 'ई-माइग्रेट' प्रणाली के माध्यम से विदेशी भर्ती एजेंसियों और भारतीय प्रवासी कामगारों को पंजीकृत किया। सरकार द्वारा यह अपेक्षित किया गया कि 16 विशिष्ट देशों में जाने वाले प्रवासी कामगारों को प्रस्थान से पूर्व उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था; सरकार ने इराक में उत्प्रवास की अनुमति नहीं दी। सरकार ने 30 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 17 देशों में काम करने की अनुमति नहीं देने के अपने प्रतिबंध को बनाए रखा, जिनमें ज्यादातर खाड़ी देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज ने दलील दी कि प्रवासन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से अवैध प्रवासन की संभावना और मानव तस्करों के जाल में फंसने की संभावना बढ़ गई। विदेश मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु विचार करने वालों को परामर्श और अन्य संसाधन प्रदान करने के लिए पांच राष्ट्रीय केंद्रों और एक 24/7 हेल्पलाइन का संचालन किया। विदेशों में सभी भारतीय मिशनों के लिए सुलभ, विदेश मंत्रालय का भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष जोकि मुख्य रूप से विदेशी कांसुलर शुल्क के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, संकट में फंसे प्रवासी कामगारों के लिए आश्रय, कानूनी सहायता और प्रत्यावर्तन के साथ ही जागरूकता उपाय और हॉटलाइन की पेशकश करता है। विदेश मंत्रालय ने अनेक वर्षों में इस निधि के उपयोग के स्तर पर जानकारी नहीं दी है। सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए 463 मिलियन अमरीकी डालर की महामारी राहत उपायों हेतु आवटंन किया; तथापि, प्रवासी श्रमिकों के लिए दस्तावेजीकरण के अभाव और बैंक खातों के न होने से कामगारों द्वारा सहायता तक पहुंच बनाने को बाधित किया। सरकार ने भर्ती शुल्क और लागत के लिए लाइसेंस प्राप्त विदेशी रोजगार नियोक्ताओं द्वारा प्रवासी श्रमिकों को 30,000 भारतीय रुपये (411 अमरीकी डालर) तक प्रभारित करने के लिए अनुमति दी । तथापि, पर्यवेक्षकों ने उल्लेख किया कि अक्सर नियोक्ता, प्रवासी श्रमिकों से अधिकतम सीमा से प्रभार लेते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई स्थित 'ग्लोबल रिक्रूटमेंट एजेंसी' ने कुवैत में नौकरियों के लिए 900 भारतीय नर्सों से 185,000 भारतीय रुपये (2,530 अमरीकी डालर) से लेकर 200,000 भारतीय रुपये (2,740 अमरीकी डालर) के बीच प्रभारित किए; सरकार ने जांच की लेकिन कोई कार्रवाई किए जाने की जानकारी नहीं दी । अन्य राज्यों ने अवैध भर्ती पर सक्रियता से कार्रवाई की । उदाहरण के लिए, ओडिशा राज्य ने भारत के भीतर अंतरराज्यीय कार्य के लिए बंधुआ मजदूरों की धोखाधड़ी से भर्ती करने वाले 91 भर्ती एजेंटों गिरफ्तार किया और उनके विरूद्ध आरोप दायर किए। अक्सर अपंजीकृत उप-एजेंटों ने ऑनलाइन प्रचालन किया और बिना किसी निरीक्षण के व्यापक रूप से प्रचालन किया। प्रत्येक माह, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय हेल्प डेस्क से मंत्रालय को सूचित अवैध एजेंटों की सूची जारी की और जांच और अभियोजन के लिए राज्य सरकारों को अवैध एजेंटों की सूची भेजी । वर्ष 2019 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अवैध एजेंटों के विरूद्ध 769 मामले संबंधित राज्यों को भेजे।

अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कुछ पंजीकृत और अपंजीकृत 'स्पा' ने यौन मानव तस्करी में महिलाओं का शोषण किया और अधिकारियों के पास ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की पर्याप्त निगरानी का अभाव है । कुछ मामलों में, कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेन्सियों ने कुछ अपंजीकृत 'स्पा' को बंद कर दिया और आपराधिक जांच शुरू की जबकि अन्य मामलों में, कानून का प्रवर्तन करने वाली एजेन्सियों ने आगे कार्रवाई किए बिना 'स्पा' को बंद कर दिया । जून, 2019 में, श्रम मंत्रालय ने 'प्लेसमेंट एजेंसियों' को विनियमित करने और घरों में कार्य करने वाले कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और न्याय प्रणाली तक पहुंच के अधिकार सहित कामगार संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति का मसौदा तैयार किया; तथापि, दस्तावेज़ मसौदा स्वरूप में रह गया और आज तक किसी भी कानून के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है । कर्नाटक राज्य ने जाति आधारित मुक्त श्रम जिसे 'बिट्टी चकरी' के नाम से जाना जाता है को बंधुआ श्रम के रूप में वर्गीकृत करके गैर-कानूनी घोषित किया। एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने जानकारी दी कि 3,000 से अधिक अनुसूचित जाति के परिवार बिना भुगतान के काम कर रहे थे, जबकि इसके अलावा 10,000 परिवारों ने शादियों या अन्य समारोहों जैसे विशेष आयोजनों के लिए बिना किसी वेतन के श्रम किया । अप्रैल 2019 में, तमिलनाडु राज्य की 7,000 परिधान तैयार करने वाली फैक्टरियों और कताई मिलों में से कुछ में अवैध मानव तस्करी की जानकारी सहित शोषणकारी स्थितियों की रिपोर्ट के बाद, एनएचआरसी ने राज्य को सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। राज्य ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। अगस्त, 2020 में तमिलनाडु में एक परिधान तैयार करने वाली फैक्टरी में जबरन मजदूरी से 35 बच्चों को बचाने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस और श्रम निरीक्षकों को सभी स्थानीय परिधान तैयार करने वाली फैक्टरियों में निरीक्षण करने का निर्देश दिया । कुछ राज्यों के पास बंधुआ मजदूरी से निपटने की कार्य योजना थी, तथापि, सरकार ने यह जानकारी नहीं दी कि कितने राज्यों ने उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है । कुछ अधिकारियों ने आमतौर पर बच्चों से 'कमर्शियल सेक्स' प्राप्तकर्ताओं पर मुकदमा चलाकर 'कमर्शियल सेक्स' की मांग को कम करने के प्रयास किए। मीडिया ने महामारी उसके बाद की आर्थिक असुरक्षा बारे में जानकारी प्रदान की जिसके कारण कुछ व्यक्तियों जिसमें यौन मानव तस्करी पीड़ितों भी शामिल हैं, को जीवनयापन के लिए 'कमर्शियल सेक्स' का सहारा लेना पड़ा जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के लिए वेश्यालय के स्वामियों, दलालों और अन्य का रूख किया, जिससे उनके ऋण बंधन के चक्र में फंसने की संभावना बढ़ गई । एक संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि भारत में 'कमर्शियल सेक्स' में संलिप्त 95 प्रतिशत से अधिक लोग 'कमर्शियल सेक्स' छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऋण बंधन में फंसने के कारण ऐसा करने में असमर्थतता महसूस की । नवंबर, 2020 में एनएचआरसी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे 'कमर्शियल सेक्स' में लगे व्यक्तियों को असंगठित क्षेत्र के कामगार के रूप में पंजीकृत करें, जो उन्हें कोविड-19 राहत कोष से से लाभ और सहायता प्राप्त करने का हकदार बनाएगा; तथापि, आलोचना के बाद गैर- बाध्यकारी निर्णय बदल दिया गया। भारत, बाल यौन पर्यटन के लिए एक गंतव्य होने के बावजूद, सरकार ने विशेषरूप से बाल यौन पर्यटन की मांग को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी नहीं दी। सरकार ने अपने राजनयिक कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई ।

मानव तस्करी संबंधी प्रोफाइल

जैसाकि, पिछले पांच वर्षों में बताया गया है, मानव तस्कर भारत में घरेलू और विदेशी पीड़ितों का शोषण करते हैं और मानव तस्कर विदेशों में भारत के पीड़ितों का शोषण करते हैं। आंतरिक बलात् मजदूरी, भारत की सबसे बड़ी तस्करी की समस्या है; मानव तस्कर ऋण आधारित दबाव (बंधुआ मजदूरी) का उपयोग पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कृषि, ईंट भट्ठों, चावल मिलों, कढ़ाई और परिधान तैयार करने वाली फैक्टरियों और पत्थर की खदानों में काम करने हेतु मजबूर करने के लिए किया करते हैं। मानव तस्कर बड़े अग्रिम भुगतान का वायदा कर चालाकी से उन्हें कम भुगतान करने वाली नौकरियों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लेते हैं, जहां उसके बाद, तस्कर अत्यधिक ब्याज दरें जोड़ते हैं; आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मदों के लिए नई कटौती करते हैं; अथवा ऋण की राशि में जालसाजी करते हैं, जिसे वे कम अथवा बिना वेतन के लिए काम जारी रखने में श्रमिकों को मजबूर करने के लिए उपयोग करते हैं। गैर सरकारी संगठनों ने भारत में कम से 8 मिलियन मानव तस्करी पीड़ितों का आकलन किया है, जिनमें से अधिकांश बंधुआ मजदूर हैं। अंतरपीढ़ीगत बंधुआ मजदूरी जारी रही, जबकि मानव तस्करों ने मृतक की बकाया देनदारियों को उनके माता पिता, भाई बहन अथवा बच्चों को अंतरित कर देते थे। अक्सर मानव तस्कर सबसे वंचित सामाजिक

तबके के लोगों को निशाना बनाते हैं। महामारी के कारण आर्थिक असुरक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, दैनिक भोजन और आश्रय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों पर पर्याप्त बोझ डालता है, जिससे अवैध व्यापार के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है । वर्ष 2020 में, मानव तस्करों ने बेरोजगार कामगारों को आकर्षित करने के लिए नकद अग्रिम की पेशकश की, इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के बीच ऋण बंधन की संभावना बढ़ गई । गैर सरकारी संगठनों ने महामारी के कारण माता-पिता के रोजगार के समाप्त होने और विद्यालयों के बंद होने के कारण बाल तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि की जानकारी दी । मानव तस्कर 6 साल से भी कम आयु के छोटे बच्चों सहित पूरे परिवारों को ईंट भट्ठों में काम के लिए मजबूर करते हैं । वर्ष 2017 में राजस्थान राज्य में ईंट भट्ठा कामगारों के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान राज्यों के 40 प्रतिशत से भी अधिक मौसमी कामगारों की भट्ठा मालिकों के प्रति देनदारी थी जो पूरे मौसम में कामगारों द्वारा अर्जित राशि से भी अधिक था। कुछ राज्यों में, शोषणकारी ठेकेदारों जो बंधुआ मजदूरी में श्रमिकों को फंसा लेते थे वे स्थानीय सरकारी अधिकारी अथवा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं । कुछ मानव तस्करों ने बंधुआ मजदूरों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी वैध मजदूरी मांगी और कुछ बंधुआ मजदूरों की मानव तस्करों के कब्जे में मौत हो गई । मानव तस्कर झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में कालीन उत्पादन और अभ्रक खनन और वस्त्रों में बंधुआ मजदूरी में पूरे परिवारों सहित वयस्कों और बच्चों का शोषण करते हैं, कई बार वयस्कों को किसी भी कारण से परिसर छोड़ने पर बच्चों को जमानत के रूप में पीछे छोड़ा जाना अपेक्षित होता था। असम में सरकारी स्वामित्व वाले चाय बागान, कामगारों को राज्य द्वारा अधिदेशित अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम भुगतान करते हैं और कामगारों को उनके ऋण और व्यय के दस्तावेजीकरण के लिए वेतन पर्ची प्रदान नहीं करते हैं। भारतीय कानून, चाय एस्टेट को कामगारों को नकदी अथवा अन्य लाभ के रूप में, दोनों स्वरूप में, भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह नोट किया कि कामगारों के वेतन के भाग बनने वाले खाद्य राशन की गुणवत्ता और मात्रा अपर्याप्त थी और काटी गई राशि से अधिक थी । असम में 50 चाय बागानों में 37 प्रतिशत श्रमिकों के दैनिक व्यय उनकी दैनिक आय से अधिक थे, जिससे कामगार, ऋण आधारित दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गए। कुछ मामलों में, "भविष्य निधि" या सुमंगली योजना जिसमें अक्सर तमिलनाडु के कताई मिल उद्योग में नियोक्ता, बहु वर्षीय संविदा के अंत में युवा महिलाओं को शिक्षा या दहेज के लिए एकमुश्त भुगतान करते हैं, के चलते बंधुआ मजदूरी हो सकती है और कुछ नियोक्ता इन महिलाओं से यौन मानव तस्करी भी करवा सकते हैं । मानव तस्कर, 8 वर्ष की कम आयु के बच्चों का कृषि (नारियल, नीलगिरी, अदरक और गन्ना); निर्माण; घरों में काम करवाकर; परिधान, इस्पात, और कपड़ा उद्योग (चर्मशोधन, चूड़ी, और साड़ी बनाने वाली फैक्टरियां); भीख मांगना; आपराध करवाने; खाद्य प्रसंस्करण फैक्टरियों (बिस्कुट, रोटी बनाने, मांस की पैकिंग करने और अचार बनाने); फूलों की खेती; कपास; जहाज का विखंडन करने; और विनिर्माण (तार और कांच) में जबरन मजदूरी करवाकर शोषण करते हैं । अनेक संगठनों ने पाया कि मानव तस्करी पीड़ितों के विरूद्ध शारीरिक हिंसा- बंधुआ मजदूरी और यौन मानव तस्करी दोनों रूप में, की गई, जोकि भारत सहित विशेषरूप से दक्षिण एशिया में व्याप्त थी। कुछ मानव तस्कर, महिलाओं और बालिकाओं को गर्भ धारण करने और बिक्री के लिए बच्चों को पैदा करने हेतु मजबूर करते हैं। गैर-राज्यीय सशस्त्र समूहों ने जम्मू और कश्मीर में सरकार के विरूद्ध सीधी टक्कर लेने के लिए 14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों को भर्ती करना और उनका उपयोग करना जारी रखा । विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड में माओवादी समूहों ने हथियारों, विस्फोटक उपकरणों की सप्लाई करने के लिए 12 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों को जबरन भर्ती किया और कुछ मामलों में मानव ढाल के रूप में काम करवाया। पूर्व में, माओवादी समूहों से जुड़ी अनेक महिलाओं और बालिकाओं ने बताया कि यौन गुलामी का संकेत देने वाली प्रथाओं सहित यौन हिंसा, कुछ माओवादी शिविरों में एक प्रथा थी। गैर-राज्यीय नक्सल समूह, योजनाबद्ध तरीके से बाल सैनिकों की भर्ती और उनका उपयोग करते रहे।

मानव तस्कर भारत के भीतर 'कमर्शियल सेक्स' में लाखों लोगों का शोषण करते हैं। कभी-कभार पारंपरिक जोगीनी प्रणाली के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं का शोषण किया जाता था, जिसमें दलित महिलाओं और बालिकाओं का औपचारिक रूप से एक स्थानीय मंदिर देवता के साथ "विवाह" किया जाता है लेकिन व्यवहार में उच्च जाति के ग्रामीणों के लिए यौन गुलाम के रूप में उपयोग किया जाता है। मानव तस्कर भारतीय महिलाओं और बालिकाओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन साथ ही धोखे से बड़ी संख्या में नेपाली और बांग्लादेशी महिलाओं और बालिकाओं को यौन मानव तस्करी के लिए भारत में भर्ती करते हैं । इसके अतिरिक्त, मानव तस्कर, मध्य एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से खासकर गोवा राज्य में, महिलाओं और बालिकाओं का 'कमर्शियल सेक्स' हेतु शोषण करते हैं । गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि पश्चिमी भारत में देश के भीतर ही मानव तस्करी के शिकार लगभग हर राज्य से आते हैं। पारंपरिक वेश्यावृत्ति वाले जिलों, 'डांस बार', स्पा, और मसाज़ पार्लरों के अलावा, मानव

तस्कर तेजी से छोटे होटलों, वाहनों, झोपड़ियों, और निजी गृहों में यौन मानव तस्करी में महिलाओं और बच्चों का शोषण कर रहे हैं। मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए 'कमर्शियल सेक्स' के लिए महिलाओं और बच्चों की भर्ती तेजी से हुई, जिसमें मोबाइल डेटिंग एप्लीकेशन और वेबसाइट्स शामिल हैं । मानव तस्कर लेनदेन करने के लिए 'एन्क्रिप्टेड डिजिटल कम्यूनीकेशन एप्लीकेशन्स' का उपयोग करते हैं, जिससे वे कानून द्वारा प्रवर्तन से बचने में सक्षम होते हैं । इसके अलावा, मानव तस्कर संदेह से बचने के लिए नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन्स' का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। भारत बाल यौन पर्यटकों के लिए एक स्रोत है और बाल यौन पर्यटन के लिए एक गंतव्य स्थल है ।

मानव तस्कर भारतीय और नेपाली महिलाओं और बालिकाओं का अपहरण करते हैं और भारत में "ऑर्केस्ट्रा नृत्यांग्नाओं" के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं, विशेष रूप से बिहार राज्य में, जहां लड़कियां नृत्य समूहों के साथ तब तक प्रदर्शन करती हैं जब तक कि वे जालसाजीपूर्ण तरीके से बनाया गया ऋण नहीं चुका देती हैं। मानव तस्कर धार्मिक तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में यौन मानव तस्करी में महिलाओं और बच्चों का शोषण करते हैं । कुछ मानव तस्कर, रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों से बच्चों का अपहरण करते हैं, मादक पदार्थों के ज़रिए बालिकाओं को फंसाते हैं और बालिकाओं को यौन मानव तस्करी में जाने के लिए मजबूर करते हैं और 5 वर्ष जैसी कम आयु में हार्मोन इंजेक्शन देते हैं ताकि वे अपनी आयु से बड़ी प्रतीत हों। कुछ कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारी संदिग्ध मानव तस्करों और वेश्यालय के स्वामियों को कानून के प्रवर्तन से बचाते हैं और पीड़ितों से यौन मानव तस्करी करने वाले प्रतिष्ठानों और यौन सेवाओं की एवज में रिश्वत लेते हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बाल यौन तस्करी के शिकारों को तस्करों की हिरासत में वापस देने के लिए रिश्वत ली। मानव तस्कर भारत और खाड़ी राज्यों के भीतर नकली विवाह की व्यवस्था करते हैं ताकि महिलाओं से यौन मानव तस्करी करवाई जा सके । पिछले रिपोर्टिंग अवधि में कुछ सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी तौर पर चलने वाले आश्रय गृहों में मानव तस्करी के पीड़ितों के शारीरिक और यौन शोषण का कोई-कोई मामला सामने आया और आश्रय गृहों के निवासियों को बलात श्रम और यौन तस्करी हेतु मजबूर किया गया।

मानव तस्कर, स्वेच्छा से विदेशों में निर्माण, घरेलू काम करने, फैक्ट्रियों और अनेक स्थानों, विशेषरूप से खाड़ी देशों और मलेशिया में अन्य कम कौशल वाले क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में जाने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ अक्सर भर्ती में धोखाधड़ी और अत्यधिक भर्ती शुल्क का भुगतान करने को मजबूर करते हैं। खाड़ी देशों, विशेषरूप से कुवैत और सऊदी अरब में, भारतीय महिला घरेलू कामगार, मजदूरी का भुगतान न करने सहित जबरन मजदूरी करवाने, श्रमिकों के अनुबंधों के पूरा होने पर काम छोड़ने की अनुमति देने से इनकार करने और शारीरिक दुर्व्यवहार करने के दृढ़ संकेतकों की लगातार जानकारी देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में, श्रम मानव तस्कर भारतीय श्रमिकों को पर्यटक वीजा पर विदेशों में लाते हैं, उनकी पहचान के दस्तावेजों और मजदूरी को अपने पास रखते हैं, और उन्हें विशेष रूप से निर्माण कार्य में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। प्राधिकरणों ने आर्मेनिया, पुर्तगाल, गैबन और जाम्बिया में जबरन मजदूरी के भारतीय पीड़ितों और केन्या में महिला यौन मानव तस्करी के भारतीय पीड़ितों की पहचान की है। मानव तस्कर रोहिंग्या, श्रीलंकाई तमिल और अन्य शरणार्थी आबादी का यौन और श्रम तस्करी में शोषण करते हैं। मानव तस्कर, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ बालकों को नेपाल में जबरन मजदूरी करवाते हैं।